Result Mitra Daily Magazine

UAPA and AFSPA

हालिया सन्दर्भ -

- जम्मू कश्मीर के DGP आर आर स्वैन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की मदद करने वाले व्यक्तियों पर शत्रु एजेंट अध्यादेश, 2005 के तहत जाँच एजेंसियों द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
- DGP ने कहा कि ऐसे लोगों को जांच के दायरे में लाए जाने के बजाय सीधे गोली मार देनी चाहिए।
- जो लोग आतंकवादियों के समर्थन करते हैं, DGP के अनुसार उनके साथ दुश्मन के एजेंट जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

शत्रु एजेंट अध्यादेश -

- शत्रु एजेंट अध्यादेश वर्ष 1917 में तत्कालीन डोगरा महाराजा द्वारा जारी किया गया था।
- इसे अध्यादेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि डोगरा शासन के दौरान बनाए गए कानूनों को 'अध्यादेश' ही कहा जाता था।
- अध्यादेश के अनुसार, जो कोई भी शत्रु एजेंट है या शत्रु की सहायता करने के उद्देश्य से किसी ऐसे साजिश को रचता है, जो शत्रु को सहायता पहुंचाने जैसा हो या जिससे भारतीय सेना के सैन्य अथवा हवाई अभियानों में बाधा उत्पन्न करती हो या उनके जीवन को खतरे में डालते हों या किसी प्रकार का आगजनी का दोषी हो, उन्हें मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठोर कारावास में दंडित किया जाएगा, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।

आजादी के बाद -

- 1947 में विभाजन के बाद, अध्यादेश को तत्कालीन राज्य में कानून के रूप में शामिल किया गया।
- वर्ष 2019 में जब जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, तो उनमें उन कानूनों को सूचीबद्ध किया गया, जिन्हें निरस्त और जारी रखना था।
- शत्रु एजेंट अध्यादेश और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम जैसे कानून बने रहे जबकि रणबीर दंड संहिता को भारतीय दंड संहिता (IPC) में बदल दिया गया।
- इसके अलावा केंद्र के कई कानूनों जैसे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम (अत्याचार निवारण), 1989 सहित अन्य कानूनों को जम्मू-कश्मीर में लागू किया गया।

शत्रु एजेंट अध्यादेश में प्रक्रिया -

- शत्रु एजेंट अध्यादेश के अंतर्गत मुकदमे का संचालन एक विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के सलाह से किया जाता है।
- कानून के मुताबिक अभियुक्त अपने बचाव के लिए कोई वकील तब तक नहीं रख सकता, जब तक न्यायालय ऐसा अनुमति न दे।
- अध्यादेश की धारा-9 के तहत, जब न्यायालय वकील रखने की अनुमति देता है तो वह विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही में अपना पक्ष रख सकता है।
- न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए फैसले का अपील किए जाने का प्रावधान नहीं है।
- हालांकि विशेष न्यायाधीश के फैसले की समीक्षा सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से चुने गए न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है और यहां दिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- अध्यादेश स्वयं के तहत दिए गए फैसले के प्रकाशन पर भी रोक लगाता है।
- अध्यादेश कहता है - कोई भी व्यक्ति सरकार के पूर्व अनुमति के बिना किसी कार्यवाही के संबंध में अथवा अध्यादेश के तहत कार्यवाही किए गए किसी व्यक्ति के संबंध में कोई जानकारी प्रकट करता है या प्रकाशित करता है तो उसे 2 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

पूर्व में चलाया गया मुकदमा -

- ऐसे कई कश्मीरी है जिन पर इस अध्यादेश के तहत मुकदमा चलाया गया है तथा सजा सुनाई गई है।
- जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के संस्थापक, मकबूल भट को जिन्हें वर्ष 1984 में तिहाड़ जेल में फांसी सुनाई गई थी, पर अध्यादेश के तहत आरोप लगाए गए थे।
- यह कानून गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, अर्थात UAPA से ज्यादा कठोर है और इसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है।

Rohit Mitra

UAPA -

- इस वर्ष 1967 में भारत में अलगाववादी विद्रोहियों एवं राष्ट्र विरोधी आंदोलनों से निपटने के लिए सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था।
- इस कानून में कई बार संशोधन किया गया, आखिरी संशोधन वर्ष 2019 में किया गया था।
- UAPA के अंतर्गत दर्ज मामलों की जांच करने एवं इस पर मुकदमा चलाने का अधिकार के NIA - National Investigation Agency के पास है।
- UAPA आतंकवादी कृत्यों के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान करता है।
- UAPA के तहत संदिग्ध व्यक्तियों को बिना किसी ट्रायल (Trial) या आरोपों के 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है।
- UAPA में तब तक जमानत नहीं दी जाती है जब तक न्यायालय संतुष्ट न हो जाए कि आरोपी दोषी नहीं है।

AFSPA -

- इसका पूरा नाम सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम है।
- AFSPA ब्रिटिश राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही रूप में आया था, जिसका प्रयोग विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए किया गया।
- वर्ष 1948 में AFSPA अध्यादेश को एक्ट के रूप में प्रतिस्थापित किया गया एवं इसे वर्ष 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री जी बी पंत द्वारा संसद में पेश किया गया।
- शुरुआत में यह अधिनियम सशस्त्र बल (असम एवं मणिपुर) विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के रूप में पहचाना जाता था।
- यह कानून नागाओं के विद्रोह से निपटने के लिए वर्ष 1958 में पहली बार लागू किया गया था।
- जब नए राज्य - मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में आए तो AFSPA में संशोधन कर इन राज्यों में भी लागू करने के लायक बनाया गया।
- इस अधिनियम के तहत किसी क्षेत्र को 'अशांत' घोषित करने का अधिकार राज्यों के पास था, लेकिन 1972 में संशोधन के द्वारा केंद्र को भी यह शक्ति प्राप्त हो गई।
- त्रिपुरा (2015) एवं मेघालय (2018) में यह कानून निरस्त हो चुका है, जबकि नागालैंड, अरुणाचल, असम एवं मणिपुर के कुछ हिस्से में यह अभी भी जारी है।
- AFSPA 'अशांत क्षेत्रों' में तैनात सशस्त्र बलों को यह अधिकार देता है कि जो व्यक्ति AFSPA का उल्लंघन करते हैं, वे उन्हें मार सकते हैं, तथा बिना वारंट के किसी भी जगह की तलाशी ले सकते हैं।

Rohit Mitra